

न्यायालय वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तराखण्ड, खण्डपीठ, हल्द्वानी।

उपस्थित: मलिक मजहर सुलतान, एच0जे0एस0,.....अध्यक्ष।
राकेश वर्मा,सदस्य।

द्वितीय अपील संख्या: 79/2025 (वर्ष 2017-18) धारा 25(7) के अन्तर्गत।

सर्वश्री मेलफोर्ड पवित्रा टेक्नोलॉजिस प्रा0लि0, रुद्रपुर।

बनाम

कमिश्नर राज्य कर, उत्तराखण्ड।

व्यापारी की ओर से : श्री दीपक गोयल..... फर्म अधिवक्ता।

विभाग की ओर से : श्रीमती हेमलता शुक्ला,.....डि0कमि0 एवं राज्यप्रतिनिधि वा0कर।

—:निर्णय:-

राकेश वर्मा, सदस्य

उपरोक्त द्वितीय अपील उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित अधिनियम 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 53 के अन्तर्गत, सर्वश्री मेलफोर्ड पवित्रा टेक्नोलॉजिस प्रा0लि0, रुद्रपुर ने संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड द्वारा प्रथम अपील संख्या-94/2025 वर्ष 2017-18 मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25(7) के अन्तर्गत आदेश में पारित किये गये निर्णय दिनांक 09-05-2025 के विरुद्ध इस अधिकरण में दिनांक 30-07-2025 को दायर की गई है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा व्यापारी की अपील स्वीकार की गयी। उक्त द्वितीय अपील में विवादित कर की धनराशि रू0 18,808/-निहित है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि सर्वश्री मेलफोर्ड पवित्रा टेक्नोलॉजिस प्रा0लि0, रुद्रपुर जिसे आगे व्यापारी कहा जाएगा। व्यापार ऑटोपार्ट्स के निर्माण/बिक्री हेतु पंजीकृत है। व्यापारी को नियमित वाद की सुनवाई हेतु करनिर्धारण अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 25(7) के अन्तर्गत दिनांक 09-08-2021 उपस्थित होने हेतु अन्तिम नोटिस प्रेषित किया गया। जारी नोटिस की विधिवत् तामीली के उपरांत भी व्यापारी के वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित न होने के कारण दिनांक 10.08.2021 को वाद का निस्तारण एकपक्षीय रूप से करते हुए कुल रू. 4000000.00 की स्वनिर्मित ऑटोपार्ट्स की बिक्री निर्धारित करते हुए कुल रू. 560000.00 करारोपण किया गया तथा समस्त मांग सृजित की गयी।

3. उक्त कर निर्धारण आदेश दिनांक 10-08-2021 से क्षुब्ध होकर व्यापारी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 09-05-2025 को पारित निर्णय के माध्यम से व्यापारी की अपील अस्वीकार की गयी तथा वाद का निस्तारण अपील स्तर पर किया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय का सुसंगत अंश निम्नप्रकार है-

द्वि0 अ0संख्या: 79/2025

ह0/-
(राकेश वर्मा)

ह0/23.01.26
(मलिक मजहर सुलतान)

“अपीलार्थी द्वारा संगतवर्ष में कुल ₹0 7909369.03 की प्रान्तीय बिक्री घोषित की गयी है, जिसमें स्वनिर्मित स्प्रिंग ऑफ आयरन स्टील ₹0 2028897.49 की प्रान्तीय बिक्री 14.5 प्रतिशत की दर से तथा स्वनिर्मित स्प्रिंग ऑफ आयरन स्टील ₹0 5880471.54 की प्रान्तीय बिक्री फार्म-11 के विरुद्ध 3 प्रतिशत की दर से घोषित की गयी है। अपीलकर्ता द्वारा फार्म-11 के विरुद्ध की गयी कुल ₹0 5880471.54 की बिक्री के सम्बन्ध में 11 फार्म-11 कुल ₹0 5716923.00 की धनराशि से आच्छादित दाखिल किये गये हैं, जिनका सत्यापनाधीन लाभ देते हुए उक्त फार्म-11 से आच्छादित बिक्री पर नियमानुसार 03 प्रतिशत की दर से करारोपित किया जायेगा तथा शेष ₹0 163548.00 की बिक्री पर फार्म-11 के अभाव में 14.50 प्रतिशत की दर से करारोपित किया जायेगा। कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त फार्म-11 का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आये तो तत्काल अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त अपीलकर्ता द्वारा ₹0 255588.00 की स्वनिर्मित स्प्रिंग ऑफ आयरन स्टील की केन्द्रीय बिक्री फार्म सी के विरुद्ध 02 प्रतिशत की दर से घोषित की गयी है, जिसकी विवेचना संगतवर्ष के केन्द्रीय वाद में पृथक से की गयी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में धारा-51 की उपधारा-8 के खण्ड (ख) में निहित प्रावधानों को अवधारित कर दिनांक 10-08-2021 को मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25(7) के अन्तर्गत पारित आदेश में आरोपित कर से सम्बन्धित तालिका में निम्न प्रकार से कर निर्धारित किया जाता है:-

क्र०सं०	बिक्री का विवरण	विक्रय मूल्य	कर दर	निर्धारित कर
1	स्वनिर्मित स्प्रिंग ऑफ आयरन स्टील की प्रान्तीय बिक्री	2028897.49	14.5 प्रति०	294190.14
2	स्वनिर्मित स्प्रिंग ऑफ आयरन स्टील की प्रान्तीय बिक्री फार्म-11 से	5716923.00	03 प्रति०	171507.69
3	स्वनिर्मित स्प्रिंग ऑफ आयरन स्टील की प्रान्तीय बिक्री फार्म-11 के अभाव में	163548.00	14.5 प्रति०	23714.46
	कुल योग-	7909368.49		489412.29

इस प्रकार अपीलार्थी पर प्रान्त में संगत वर्ष हेतु अपील स्तर से ₹0 489412.29 कर निर्धारित किया जाता है। अपीलकर्ता द्वारा विभिन्न चालानों द्वारा कुल ₹0 36275.00 कर जमा किया जाना घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त ₹0 75822.00 की आई०टी०सी० का लाभ देय है। इसके अतिरिक्त अपील स्तर से निस्तारित संगतवर्ष के केन्द्रीय वाद से अग्रसारित अधिक जमा ₹0 71816.00 का लाभ अपीलकर्ता को देय है। इस प्रकार जमा व आई०टी०सी० कुल ₹0 183913.00 बनता है, जिसका सत्यापनाधीन लाभ आरोपित कर से समायोजित करने के उपरान्त ₹0 305499.00 की मांग अवशेष रहती है, जिसे अपीलकर्ता नियमानुसार ब्याज सहित राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करें। कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वह चालानों से जमा धनराशि का सत्यापन नियमानुसार करवाना सुनिश्चित करेंगे एवं कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर अविलम्ब नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

4. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध होकर व्यापारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय आधारों में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है कि-

1. “यह कि अपीलकर्ता फर्म सम्मानित करदाता है तथा उत्तराखण्ड मूल्य संबंधित कर अधिनियम एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत विभाग में पंजीकृत डीलर है, व्यापार के दैनिक क्रम में वैट प्रावधानों के अन्तर्गत वांछित अभिलेख रखे जाते हैं तथा खरीद व बिक्री से सम्बन्धित समस्त संयवहार अपीलकर्ता फर्म की लेखापुस्तकों में दर्ज है।

2. यह कि अपीलार्थी फर्म को धनराशि रु0 163548.00 रुपये की बिक्री के फार्म 11 अपील की सुनवाई के समय तक प्राप्त नहीं हो सके थे, अपीलार्थी फर्म के द्वारा फार्म जमा करने हेतु समय की मांग की गई थी परन्तु विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा फार्म दाखिल करने हेतु समय प्रदान नहीं किया गया, फार्म प्राप्त करने हेतु क्रेता व्यापारियों से सम्पर्क किया जा रहा है, प्राप्त फार्म को अपील की सुनवाई के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

3. यह कि उक्त अपील की सुनवाई के समय तक इस प्रस्तुत अपील में कोई भी अतिरिक्त आधार जोड़ने/हटाने का अथवा एक्टर/ एमैण्ड करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।”

अतः श्रीमान जी से सादर प्रार्थना है कि अपीलकर्ता फर्म की द्वितीय अपील को स्वीकार कर अपीलकर्ता के विरुद्ध सृजित की गयी मांग को न्यायहित में समाप्त करने हेतु निर्णय पारित करने की कृपा करे

इस प्रकार उपर्युक्त आधारों पर अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. प्रस्तुत द्वितीय अपील की सुनवाई हेतु नियत तिथि को विभाग की ओर से श्रीमती हेमलता शुक्ला, विद्वान डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि उपस्थित हुई तथा उनके द्वारा धारा-51 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय आदेश को विधि सम्मत होना बताते हुए उक्त की पुष्टि किये जाने की प्रार्थना की गयी। अपीलार्थी व्यापारी की ओर से विद्वान फर्म अधिवक्ता श्री दीपक गोयल, उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा अपीलीय आधारों में उल्लिखित तर्कों को दोहराते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा उपलब्ध अभिलेख एवं अपीलीय आधारों का अवलोकन किया गया। प्रथमतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलीय आधारों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा किन बिन्दुओं से क्षुब्ध होकर प्रथम अपील योजित की गयी थी। उक्त के सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रश्नगत द्वितीय अपील में अपीलार्थी द्वारा जो बिन्दु विवादग्रस्त किया गया है, उसके प्रथम अपील के समय अपीलीय आधार में सम्मिलित होना प्रकाश में नहीं आता है। यहाँ यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि व्यापारी द्वारा दायर प्रथम अपील, अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार की गयी।

7. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील के आधारों में यह उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा प्रपत्र-सी दाखिल किये जाने हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी से समय की मांग की गयी थी, परन्तु विद्वान प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा उन्हें प्रपत्र-सी दाखिल किये जाने हेतु कोई समय प्रदान नहीं किया गया। इस बिन्दु के सम्बन्ध में प्रथम अपीलीय निर्णय में कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया। व्यापारी द्वारा दायर की गयी अपीलीय आधार में भी फार्म सी /11 के संबंध में समय मागे जाने को भी अंकित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अपने कथन के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

8. इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय निर्णय के अनुसार अवशेष प्रपत्र-सी को सम्बन्धित करनिर्धारण कार्यालय में अतिथि तक दाखिल किये जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उनके द्वारा अपीलीय वाद की सुनवाई के समय भी मौखिक रूप से स्वीकार किया गया कि उनके पास अवशेष प्रपत्र—सी उपलब्ध नहीं हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचित एवं विश्लेषित तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी द्वारा दाखिल यह द्वितीय अपील बलहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

--: आदेश ::--

अपीलार्थी द्वारा दाखिल द्वितीय अपील संख्या-79/2025 (वर्ष 2017-18)धारा 25(7) के अन्तर्गत अस्वीकार की जाती है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह0/-
(राकेश वर्मा)

सदस्य,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी पीठ।

ह0/23.01.26

(मलिक मजहर सुलतान)
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक:- 23.01.26

न्यायालय वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तराखण्ड, खण्डपीठ, हल्द्वानी।

उपस्थित: मलिक मजहर सुलतान, एच0जे0एस0,.....अध्यक्ष।

राकेश वर्मा,सदस्य।

द्वितीय अपील संख्या: 80/2025 (वर्ष 2017-18) धारा 9(2) के अन्तर्गत।

सर्वश्री मेलफोर्ड पवित्रा टेक्नोलॉजिस प्रा0लि0, रूद्रपुर।

बनाम

कमिश्नर राज्य कर, उत्तराखण्ड।

व्यापारी की ओर से : श्री दीपक गोयल..... फर्म अधिवक्ता।

विभाग की ओर से : श्रीमती हेमलता शुक्ला,.....डि0कमि0 एवं राज्य प्रतिनिधि वा0कर।

—:निर्णय:—

राकेश वर्मा, सदस्य

उपरोक्त द्वितीय अपील उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित अधिनियम 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 53 के अन्तर्गत, सर्वश्री मेलफोर्ड पवित्रा टेक्नोलॉजिस प्रा0लि0, रूद्रपुर ने संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड द्वारा प्रथम अपील संख्या-95/2025 वर्ष 2017-18 केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 9(2) के अन्तर्गत आदेश में पारित किये गये निर्णय दिनांक 09-05-2025 के विरुद्ध इस अधिकरण में दिनांक 30-07-2025 को दायर की गई है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा व्यापारी की अपील स्वीकार की गयी। उक्त द्वितीय अपील में विवादित कर की धनराशि रू0 31,948/- निहित है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि सर्वश्री मेलफोर्ड पवित्रा टेक्नोलॉजिस प्रा0लि0, रूद्रपुर जिसे आगे व्यापारी कहा जाएगा। व्यापार ऑटोपार्ट्स के निर्माण/बिक्री हेतु पंजीकृत है। व्यापारी को नियमित वाद की सुनवाई हेतु करनिर्धारण अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 9(2) के अन्तर्गत दिनांक 09-08-2021 उपस्थित होने हेतु अन्तिम नोटिस प्रेषित किया गया। जारी नोटिस की विधिवत् तामीली के उपरांत भी व्यापारी के वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित न होने के कारण दिनांक 10.08.2021 को वाद का निस्तारण एकपक्षीय रूप से करते हुए कुल रू. 1000000.00 की स्वनिर्मित ऑटोपार्ट्स की बिक्री निर्धारित करते हुए कुल रू. 140000.00 करारोपण किया गया तथा समस्त मांग सृजित की गयी।

3. उक्त कर निर्धारण आदेश दिनांक 10-08-2021 से क्षुब्ध होकर व्यापारी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 09-05-2025 को पारित निर्णय के माध्यम से व्यापारी की अपील अस्वीकार की गयी तथा वाद का निस्तारण अपील स्तर पर किया गया। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय का सुसंगत अंश निम्नप्रकार है—

“अपीलार्थी द्वारा संगतवर्ष में कुल रू0 255588.00 की स्वनिर्मित स्प्रिंग ऑफ आयरन स्टील की केन्द्रीय बिक्री फार्म-सी के विरुद्ध 02 प्रतिशत की दर से घोषित की गयी है, उक्त बिक्री से सम्बन्धित फार्म-सी प्रस्तुत न करने के कारण उक्त बिक्री पर नियमानुसार 14.5 प्रतिशत की दर से करारोपित किया जायेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में धारा-51 की उपधारा-8 के खण्ड (ख) में निहित प्रावधानों को अवधारित कर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(2) के अन्तर्गत पारित आदेश में आरोपित कर से सम्बन्धित तालिका में निम्न प्रकार से कर निर्धारित किया जाता है:-

क्र0सं0	बिक्री का विवरण	विक्रय मूल्य	कर दर	निर्धारित कर
1	स्वनिर्मित स्प्रिंग ऑफ आयरन स्टील की केन्द्रीय बिक्री फार्म- सी के अभाव में	255588.00	14.5 प्रति0	37060.00

इस प्रकार अपीलार्थी पर केन्द्र में संगत वर्ष हेतु अपील स्तर से रू0 37060.00कर निर्धारित किया जाता है। अपीलकर्ता द्वारा विभिन्न चालानों द्वारा कुल रू0 12112.00 कर जमा किया जाना घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त रू0 75822.00 की आईटीसी का लाभ देय है। इसके अतिरिक्त अपील स्तर से निस्तारित अपीलकर्ता के वर्ष 2016-17 के केन्द्रीय वाद के अनुसार रू0 96764.00 संगतवर्ष हेतु अग्रसारित है। इस प्रकार कुल रू0 108876.00 का लाभ जिसका लाभ आरोपित कर से समायोजित करने के उपरान्त रू0 71816.00 अधिका जमा आता है, जिसे संगतवर्ष के प्रान्तीय वाद हेतु अग्रसारित किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वह चालानों से जमा धनराशि का सत्यापन नियमानुसार करवाना सुनिश्चित करेंगे एवं कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर अविलम्ब नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।”

4. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध होकर व्यापारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय आधारों में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है कि-

1. “यह कि अपीलकर्ता फर्म सम्मानित करदाता है तथा उत्तराखण्ड मूल्य संबंधित कर अधिनियम एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत विभाग में पंजीकृत डीलर है, व्यापार के दैनिक क्रम में वेट प्रावधानों के अन्तर्गत वांछित अभिलेख रखे जाते हैं तथा खरीद व बिक्री से सम्बन्धित समस्त संव्यवहार अपीलकर्ता फर्म की लेखापुस्तकों में दर्ज है।
2. यह कि अपीलार्थी फर्म को धनराशि रू0 255588.00 रुपये की बिक्री के फार्म सी अपील की सुनवाई के समय तक प्राप्त नहीं हो सके थे, अपीलार्थी फर्म के द्वारा फार्मो जमा करने हेतु समय की मांग की गई थी परन्तु विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा फार्म दाखिल करने हेतु समय प्रदान नहीं किया गया, फार्म प्राप्त करने हेतु क्रेता व्यापारियों से सम्पर्क किया जा रहा है, प्राप्त फार्मो को अपील की सुनवाई के समय प्रस्तुत किया जायेगा।
3. यह कि उक्त अपील की सुनवाई के समय तक इस प्रस्तुत अपील में कोई भी अतिरिक्त आधार जोड़ने/हटाने का अथवा एल्टर/ एमैण्ड करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।”

अतः श्रीमान जी से सादर प्रार्थना है कि अपीलकर्ता फर्म की द्वितीय अपील को स्वीकार कर अपीलकर्ता के विरुद्ध सृजित की गयी मांग को न्यायहित में समाप्त करने हेतु निर्णय पारित करने की कृपा करे

इस प्रकार उपर्युक्त आधारों पर अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. प्रस्तुत द्वितीय अपील की सुनवाई हेतु नियत तिथि को विभाग की ओर से श्रीमती हेमलता शुक्ला, विद्वान डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि उपस्थित हुई तथा उनके द्वारा धारा-51 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय आदेश को विधि सम्मत होना बताते हुए उक्त की पुष्टि किये जाने की प्रार्थना की गयी। अपीलार्थी व्यापारी की ओर से विद्वान फर्म अधिवक्ता श्री दीपक गोयल, उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा अपीलीय आधारों में उल्लिखित तर्कों को दोहराते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा उपलब्ध अभिलेख एवं अपीलीय आधारों का अवलोकन किया गया। प्रथमतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलीय आधारों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा किन बिन्दुओं से क्षुब्ध होकर प्रथम अपील योजित की गयी थी। उक्त के सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रश्नगत् द्वितीय अपील में अपीलार्थी द्वारा जो बिन्दु विवादग्रस्त किया गया है, उसके प्रथम अपील के समय अपीलीय आधार में सम्मिलित होना प्रकाश में नहीं आता है। यहाँ यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि व्यापारी द्वारा दायर प्रथम अपील, अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार की गयी।

7. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील के आधारों में यह उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा प्रपत्र-सी दाखिल किये जाने हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी से समय की मांग की गयी थी, परन्तु विद्वान प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा उन्हें प्रपत्र-सी दाखिल किये जाने हेतु कोई समय प्रदान नहीं किया गया। इस बिन्दु के सम्बन्ध में प्रथम अपीलीय निर्णय में कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया। व्यापारी द्वारा दायर की गयी अपीलीय आधार में भी फार्म सी /11 के संबंध में समय मागे जाने को भी अंकित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अपने कथन के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

8. इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय निर्णय के अनुसार अवशेष प्रपत्र-सी को सम्बन्धित करनिर्धारण कार्यालय में अतिथि तक दाखिल किये जाने सम्बन्धी कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा अपीलीय वाद की सुनवाई के समय भी मौखिक रूप से स्वीकार किया गया कि उनके पास अवशेष प्रपत्र-सी उपलब्ध नहीं हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचित एवं विश्लेषित तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी द्वारा दाखिल यह द्वितीय अपील बलहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

—: आदेश ::—

अपीलार्थी द्वारा दाखिल द्वितीय अपील संख्या-80/2025 (वर्ष 2017-18) धारा 9(2) के अन्तर्गत अस्वीकार की जाती है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह0/—
(राकेश वर्मा)
सदस्य,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी पीठ।

ह0/23.01.26
(मलिक मजहर सुलतान)
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक:- 23.01.26